संख्या–स्था0–33/सत्तर–3–2017–स्था0(02)/2017

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उ0प्र0 राज्य ... परिषद, लखनऊ
संख्या 44 /रा0उ0शि0प0/20
दिनांक 27/06/17

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2017

विषयः– प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– सं0नि0(उ0शि0)/एकल स्था0–93/2017–18 दिनांक–20.06.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ–2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित एसोसिएट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख **स्तम्भ–04 में** अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डॉ0 अंजलि सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गृह विज्ञान, आर्य कन्या पी0जी0 कॉलिज, हापुड़।	गृह विज्ञान	विद्यावती मुकुन्दलाल महिला महाविद्यालय, गाजियाबाद।

2– उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

/

(श्रवण कुमार सिह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः– स्था0–33(1)/सत्तर–3–2017– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(2) जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़/गाजियाबाद।
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
(4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18–ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
(5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर मकरन्द सिंह)
अनु सचिव।

संजय
27/06/17

HES-3